रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 1986/आश्विन 17, 1908
No. 231] NEW DELHI, THURSDAY, OCT. 9, 1986/ASVINA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1986

सं. आर. एस. 1/4/86-एल :--राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश, दिनांक 9 अक्तूबर, 1986, आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :--

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा राज्य सभा को मंगलवार, 4 नवम्बर, 1986 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूं।

9 अक्तूबर, 1986

ज्ञैल सिंह
राष्ट्रपति।"

सुदर्शन अग्रवाल, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 1986

No. RS. 1|1|86-L.—The following Order by the President, dated the 9th October, 1986, is published for general information :—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Tuesday, the 4th November, 1986, at New Delhi.

The 9th October, 1986.

ZAIL SINGH
PRESIDENT."

SUDARSHAN AGARWAL, Secretary-General.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986